प्रेषक,

**निदेशक,**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,**
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 48 /सा0-2/ पशुक्रूरता/13-14 दिनांक : 10-1-2014

**विषय : जनहित याचिका 'डॉग शो' आयोजन के संबंध में जनहित याचिका-61400/2013 के आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उक्त विषयक याचिका-61400/2013 मुख्य न्यायधीश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में आपकों निर्देशित किया जाता है कि पशु रोग विशेष कर श्वानों में होने वाले केनाइन डिस्टेम्पर जो कि श्वान वर्ग के साथ वन्य जीवों में भी फैलता है, की संभावना को रोकने के लिये विभिन्न जनपदों में होने वाले डॉग शो के आयोजन की सहमति के लिये निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. डॉग शो आयोजन के एक माह पूर्व प्रर्दशनी में भाग लेने हेतु आने वाले पशुओं का टीकाकरण प्रमाण-पत्र, डॉग लाइसेन्स एवं आयोजित श्वानों का क्वेरेंटाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उक्त से सन्तुष्ट होने पर ही प्रदर्शनी में श्वानों के प्रतिभाग करनेको सुनिश्चित करे।
2. डॉग शो के एक दिन पूर्व संक्रामक रोग से रहित होने का परीक्षण भी करवाना चाहिये।
3. डॉग शो के दिन विभागीय भिज्ञ पशुचिकित्साधिकारियों के द्वारा शो में आये श्वान प्रतिभागियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर शो में भाग लेने हेतु अनुमति दे।
4. इसके अतिरिक्त श्वान प्रर्दशनी आयोजित कराये जाने वाले विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत अपने को पंजीकृत कराने संबंधी दिशा निर्देश भी अपने स्तर से संबंधित को जारी करे।
5. वन विभाग से भी, वन्य पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत, श्वान प्रर्दशनी के स्थल चयन के बारे में सम्पर्क तथा सहमति प्राप्त करने हेतु आयोजकों को निर्देशित करे।

उक्त के साथ ही भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का पत्र 17-8/2013-14/CA/CC दिनांक 24 दिसम्बर 2013 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। तद्नुसार जनपदों में आयोजित होने वाले डॉग शो में उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये संबंधित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित है।

**भवदीय**

**(रूद्र प्रताप)**
**निदेशक**

पत्रांक /सा0-2 दिनांक :

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-II, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. श्री सूरजपाल द्वारा डा0 एस0के0 पाल, 352/12, बाबूपुरवा कालोनी कानपुर।
4. सहायक सचिव, भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ।

**(रूद्र प्रताप)**
**निदेशक**